

राज्य योजना आयोग
आउटकम बजट 2017-18

(धनराशि लाख ₹0 में)

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
अनुदान संख्या-07 राज्य सेक्टर 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें 092-अन्य कार्यालय 03-नियोजन अधिष्ठान	राज्य की नीति एवं नियोजन की प्रक्रिया हेतु	390.46		राज्य योजना आयोग में 101 कार्मिकों के अधिष्ठान के व्यय हेतु	01 वर्ष	नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत राज्य पर विभिन्न प्रकार के मूल्यांकन एवं विकास कार्यों में आवश्यक परामर्श प्रदान करना।	01 वर्ष
04-आयोजनागत विकास कार्यों का मूल्यांकन 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	प्रदेश में कराये गये अवस्थापना निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु एवं भविष्य में सुधार के लिए तकनीकी जांच/ मूल्यांकन कार्य विशेषज्ञ संस्थाओं से नियमित रूप से सम्पादित कराये जा रहे हैं।	80.00		नव सृजित राज्य की आर्थिक स्थिति, संसाधनों, जनआकाक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अपेक्षानुसार कार्यक्रमों का गहन परीक्षण, मूल्यांकन, स्थलीय सत्यापन व व्यापक सर्वेक्षण एवं लक्ष्य प्राप्त करना।	01 वर्ष	अवस्थापना निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु।	01 वर्ष
07 परियोजना विकास निधि का गठन 20-सहायक अनुदान अंशदान/राज सहायता	उत्तराखण्ड अवस्थापना व्यवहार्यता (Viability) अनुदान योजना के अन्तर्गत राज्य में सार्वजनिक निदेश के पूरक के तौर पर आवश्यक निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवहार्य (Viable) परियोजनाओं के चिन्हन, प्रोजेक्ट निरूपण, फिजिविलिटी रिपोर्ट का परीक्षण।	50.00		अधिक से अधिक विभागों की सटीक परियोजना प्रतिवदनों एवं व्यवहार्यता रिपोर्ट की संरचना।	1 वर्ष	ससमय परियोजनाओं का प्रारम्भ निर्बाध क्रियान्वयन एवं चरणबद्ध रूप में पूर्ण किया जाना।	01 वर्ष

योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट ले		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटपुट	समय सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउटकम	समय सीमा
		राजस्व	पूँजीगत				
06- भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना- 20- सहायक अनुदान /अंशदान /राज सहायता	वर्तमान में उक्त योजना आवास विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है।	50.00		भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के कार्मिकों का अधिष्ठान व्यय एवं विकास कार्यों हेतु	1 वर्ष	भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के माध्यम से क्षेत्र का विकास	1 वर्ष
99-पी0पी0पी0 प्रकोष्ठ का गठन 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	राज्य में पी0पी0पी0 के अन्तर्गत परियोजनाओं का सम्यक् विकास एवं सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य में PPP enabling framework सृजित किये जाने हेतु।	30.00		अधिक से अधिक संख्या में विभागों को पी. पी. पी. परियोजनाओं के Concept Note तैयार करने, RFP डाक्यूमेण्ट तैयार करने निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करने में सहयोग।	1 वर्ष	पी.पी.पी. मोड में अधिक से अधिक निजी निवेश प्राप्त करना तथा गुणवत्तायुक्त Service Delivery का लक्ष्य प्राप्त करना।	01 वर्ष
केन्द्रीय सहायता 01-केन्द्रीय आयोजनागत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें- 04-13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला नवाचार निधि का गठन। 20-सहायता अनुदान/अंशदान/राज सहायता	13वें वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर देश के अन्य प्रान्तों की भांति राज्य में नवाचार बेहत्तर विकल्प अवसर कराने, लागत में कमी करने, सेवा स्तर में सुधार लाने तथा उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन सिंचाई, पेयजल, वन जड़ी-बूटी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के क्षेत्र में जन उपयोगी कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।	0.00		नवाचार बेहत्तर विकल्प अवसर कराने, लागत में कमी करने, सेवा स्तर में सुधार लाने	1 वर्ष	राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा पर्यटन, सिंचाई, पेयजल, वन, जड़ी-बूटी तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन के क्षेत्र में जन उपयोगी बनाये जाने हेतु।	01 वर्ष
	कुल योग	600.46					

